निर्णय बईजलास श्री सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 26/अपील/18

उनवान अपील

राघूसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत नि0 जाजनी तहसील पचपहाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

01. हरिसिंह आ0 भैरूसिंह जाति राजपूत नि0 जाजनी तहसील पिड़ावा
02. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़ जिला झालावाड़ (रेस्पो0)

अपील बनाराजी नामान्तरकरण संख्या 116 जाजनी दिनांक 08.05.1981 जो तहसीलदार पचपहाड़ ने तस्दीक किया अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री तॅवर सिंह झाला अभिभाषक अपीलान्ट
श्री रवजोत सिंह अभिभाषक रेस्पो0 1
पेरोकार सरकार

–: निर्णय :–

दिनांकः 21.01.2019

यह अपील अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 18.05.1981 जिसके द्वारा ग्राम जाजनी की आराजी खाता संख्या नया 333 पुराना 287 आराजी ख0न0 980 रकबा 03 बिस्वा,खाता संख्या नया 330 पुराना 277 आराजी ख0न0 632 रकबा 04 बिस्वा,खाता संख्या नया 280 पुराना 237 आराजी ख0न0 188/2 रकबा 05 बिस्वा,खसरा न0 189 रकबा 01 बिस्वा,ख0न0 456/2 रकबा 10 बिस्वा,ख0न0 625/2 रकबा 01 बीघा, ख0न0 626 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, ख0न0 627/2 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, ख0न0 976/2 रकबा 01 बिस्वा,ख0न0 977/2 रकबा 12 बिस्वा,ख0न0 994/2 रकबा 02 बिस्वा,ख0न0 996/2 रकबा 02 बिस्वा कुल 12 किता रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा में अपीलान्ट का नाम राघुसिंह के स्थान पर रूघनाथ सिंह दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 116 तस्दीक किया गया से असन्तुष्ट होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेंमों में अंकन किया है कि नामान्तरकरण जैर अपील में पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट व सजरा में राघूसिंह अंकन किया गया है किन्तु नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम रूघनाथ सिंह दर्ज कर दिया गया है। रूघनाथ सिंह के स्थान पर राघूसिंह दर्ज कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने का अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 01 की और से अभिभाषक श्री रवजोत सिंह व रेस्पो0 2 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित हए।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा ग्राम जाजनी स्थित आराजी का दिनांक 08.05.1981 को नामान्तकरण संख्या 116 में अपीलान्ट का नाम राघूसिंह के स्थान पर रूघनाथ सिंह अंकन किया गया है अपीलान्ट का नाम सही दर्ज कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक किया जावे। इस पर अभिभाषक रेस्पो0 1 द्वारा व्यक्त किया कि पटवारी हल्का द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का नाम नामान्तरकरण में राघुसिंह दर्ज किया जावे। जिस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि 1981 में तस्दीक नामान्तरकरण की अपील इतने वर्ष बाद असाधारण देरी से प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। पत्रावली में सलंग्न नामान्तरकरण की परत के अवलोकन से यह तो जाहिर है कि तत्समय नामान्तरकरण के कालम संख्या 11 व 16 में खातेदार भेरूसिंह की मृत्यु उपरान्त का0मु0 हरिसिंह,राघुसिंह व दर्याव बाई नाम दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी किन्तु उक्त रिपोर्ट पश्चात तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा राघुसिंह के स्थान पर रघुनाथ सिंह का अंकन नामान्तरकरण में किया जाना भी स्पष्ट है। चूंकि प्रस्तुत प्रकरण नाम शुद्धीकरण (correction of entry) का है व इस तरह के प्रकरणों को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के नियमों में प्रावधान हैं। अतः न्यायहित में मूल प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, भ.मण्डी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण को भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत दर्ज कर नियमों के परिपेक्ष्य में विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार अन्दर 15 योम प्रकरण का निस्तारण कर न्यायालय हाजा को अवगत करावें। उभय पक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भ.मण्डी में दिनांक 28.01.2019 को उपस्थित हों। मूल प्रकरण मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी, भ.मण्डी को भिजवाया जावे, पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़